UPAG010045842026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, आगरा।
पीठासीन अधिकारी–प्रदीप कुमार–IV (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP01733
दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–344/2026

हरेन्द्र धाकरे पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी–भक्तपुरा, पोस्ट तेहरा, थाना सैंया, जिला आगरा, उम्र करीब 33 वर्ष। ..... **पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. राकेश कुमार पुत्र श्री विजय पाल सिंह, निवासी–ग्राम सराय जैराम, पोस्ट बरहन, थाना बरहन, जिला आगरा। ..... **विपक्षीगण**

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता हरेन्द्र धाकरे द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य के विरुद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–6, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–16142/2024, राकेश कुमार बनाम हरेन्द्र धाकरे, अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, थाना सैंया, जिला आगरा के मामले में परिवादी/विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए एन0आई0 एक्ट पर पारित आदेश दिनांकित 26.02.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। उक्त आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया तथा चेक की मूल धनराशि 24,00,000/–रुपये की 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात 2,40,000/–रुपये बतौर अन्तरिम प्रतिकर परिवादी को विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश किया जाता है। विपक्षी हरेन्द्र धाकरे अन्दर दो माह चेक की धनराशि की दस प्रतिशत अर्थात 2,40,000/–रुपये परिवादी राकेश कुमार को अदा करे। यदि विपक्षी हरेन्द्र धाकरे आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

उक्त पुनरीक्षण अंगीकृत होने के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में आधार स्वरूप कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 26.02.2026 त्रुटिपूर्ण, विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है, जो कि शीघ्रता में विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना सरसरे तौर पर पारित किया गया है। उक्त परिवाद में विचारण न्यायालय द्वारा

पुनरीक्षणकर्ता को संज्ञान दिनांक 27.02.2025 को लेकर तलब किया किया गया था तथा पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त वाद में न्यायालय के समक्ष नियत तिथि 20.04.2025 से पहले दिनांक 01.04.2025 को आत्म समर्पण कर अपनी जमानत करा ली थी और नियत तारीखों पर उक्त वाद में हाजिर होता रहा है। परिवादी पुनरीक्षणकर्ता के साथ मिलकर वर्फ का कारोबार करना चाहता था। इस वजह से परिवादी ने 3,50,000/—रुपये ऑनलाइन बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया था, जिसमें से पुनरीक्षणकर्ता ने 2,00,000/—रुपया नकद लोगों के समक्ष भुगतान कर दिया था, जो इस प्रकार है—1,00,000/—रुपया परिवादी के पिता के निधन पर तथा शेष 50,000/—रुपया परिवादी की भांजी की शादी पर तथा 50,000/—रुपया दो बार में 30,000/— व 20,000/—रुपया परिवादी को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार परिवादी से उधार लिया गया 3,50,000/—रुपया में से 1,50,000/—रुपया पुनरीक्षणकर्ता पर परिवादी का शेष रह गया है, जिसे पुनरीक्षणकर्ता परिवादी को अदा करने को तैयार है तथा उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमे के विचारण में जानबूझकर कोई देरी नहीं की जा रही है, इसलिए परिवादी पुनरीक्षणकर्ता से चेक धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। परिवादी का पुनरीक्षणकर्ता के पास आना—जाना था और पुनरीक्षणकर्ता की गैर मौजूदगी में पुनरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर युक्त ब्लैंक चेक चोरी—छिपे निकाल लिया गया था, जिसका दुरूपयोग पुनरीक्षणकर्ता को तंग व परेशान करने एवं अवैध धन वसूल करने हेतु किया गया है, इसलिए परिवादी पुनरीक्षणकर्ता से चेक धनराशि 24,00,000/—रुपया में से 10 प्रतिशत धनराशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। परिवादी ने परिवाद में विभिन्न तिथियों पर कुल 21,50,000/—रुपया नकद पुनरीक्षणकर्ता को देना बताया है तथा 3,50,000/—रुपये आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन देना बताया गया है तथा परिवादी ने 21,50,000/—रुपया जैसी मोटी रकम बिना किसी लिखा—पढ़ी के बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी में देना अपने आप में सम्भव प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित इससे पूर्व पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अन्य कोई पुनरीक्षण किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह मा0 न्यायालय में प्रथम रिवीजन है, इस रिवीजन के अलावा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मा0 न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अन्य कोई रिवीजन विचाराधीन नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2026 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या–2 राकेश कुमार की ओर से पुनरीक्षण का विरोध करते हुए लिखित जवाब 8ब दाखिल किया गया है, जिसमें विपक्षी संख्या–2 द्वारा पुनरीक्षण याचिका में वर्णित मदों को गलत, निराधार व अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.02.2026 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, उभयपक्ष की सुनवाई एवं विधि के सम्यक अनुपालन में पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि आदेश पारित करने में किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं बरती गयी तथा उत्तरदाता के साथ पूर्ण न्याय हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से धारा 143ए एन0आई0 एक्ट के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड (क्रिमिनल अपील नं0–741/2024) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था का सम्यक अवलोकन करते हुए ही आदेश पारित किया गया है। अतः विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करने का कथन सरासर असत्य है। संज्ञान, तलबी एवं आत्मसमर्पण सम्बन्धी कथन तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत होते हैं, परन्तु इससे आक्षेपित आदेश की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यही कथन विचारण न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इस स्तर पर न्यायालय मुकदमे का प्री–ट्रायल नहीं कर सकता तथा किस पक्ष का कथन सत्य व विश्वसनीय है। इसका निर्धारण उभयपक्ष के साक्ष्य आने के उपरान्त ही विचारण के समय हो सकेगा। अतः यह आधार रिवीजन में पुनः उठाया जाना विधि की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि यह विचारण विषय है, रिवीजन का विषय नहीं है। यह कथन कि चेक चोरी होकर दुरूपयोग किया गया, सरासर असत्य, काल्पनिक एवं बाद में रचा गया बचाव है। पुनरीक्षणकर्ता स्वयं अपने बयान में चेक पर अपने हस्ताक्षर होने को स्वीकार कर चुका है, जो स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में अंकित है। हस्ताक्षर स्वीकार किये जाने के उपरान्त चेक चोरी का कथन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। उत्तरदाता द्वारा प्रदत्त ऋण की धनराशि एवं उसके भुगतान की रीति का विस्तृत विवरण परिवाद में दिया जा चुका है। इसकी सत्यता का निर्धारण भी विचारण के समय साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगा। स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इस बिन्दु पर कोई टीका–टिप्पणी करना उचित नहीं समझा गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2026 पूर्णतः विधि सम्मत है, बरकरार रखे जाने योग्य है। धारा 143ए एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत अन्तरिम प्रतिकर का प्रावधान विवेकाधीन है, अनिवार्य नहीं है, परन्तु विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का सम्यर्क प्रयोग करते हुए तथा उत्तरदाता की पुत्री की विवाह योग्य होने, उत्तरदाता के सेवानिवृतत सैनिक होने एवं पेंशन के अतिरिक्त आय का कोई अन्य साधन न होने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चेक की मूल धनराशि मु0 24,00,000/–रुपये की 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात् 2,40,000/–रुपये मात्र अन्तरिम प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर चेक पर होने को स्वीकार किया जाना तथा चेक उसके द्वारा ही जारी किया जाना स्वीकृत होना, धारा 143ए के अन्तर्गत अन्तरिम प्रतिकर दिलाये जाने हेतु पर्याप्त एवं विधिसम्मत आधार है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण मात्र परिवाद के विचारण में विलम्ब उत्पन्न करने तथा उत्तरदाता को उसके विधिक एवं न्यायोचित अधिकार से वंचित रखने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण मय हर्जे के निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने मामले के समर्थन में शपथपत्र के साथ परिवाद संख्या–16142/2024, राकेश कुमार बनाम हरेन्द्र धाकरे के सम्पूर्ण आदेश पत्रक की सत्यापित प्रति व न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–6, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–16142/2024, राकेश कुमार बनाम हरेन्द्र धाकरे, अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, थाना सैंया, जिला आगरा में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2026 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2026 पारित करते हुए विधि की भारी भूल की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली का सही ढंग से अवलोकन किये बिना मनमाने तरीके से अंसगत, असंवैधानिक व न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध तथा क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2026 को निरस्त किया जाये।

विपक्षी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा पुनरीक्षण का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन कर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा उक्त आदेश पारित करने में किसी भी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः पुनरीक्षण निरस्त होने योग्य है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

यहां यह उल्लेखनीय है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी का निस्तारण करते समय सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वह केवल विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में पारित किये जाने में की गयी अवैधानिकता व क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि होने पर ही हस्तक्षेप कर सकता है। निगरानी न्यायालय को निगरानी के स्तर पर मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही साक्ष्य का गुणदोष पर विश्लेषण करना होता है। मामले के गुणदोष के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में जो आधार उल्लिखित किये गये हैं, उक्त आधारों के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय, उभयपक्ष की साक्ष्य होने के पश्चात् मामले के अन्तिम निस्तारण के समय ही अपना निष्कर्ष पारित कर सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द 2012(9) एस0सी0सी0 460** में यह मत व्यक्त किया है कि ''जहॉ तक पुनरीक्षण न्यायालय का प्रश्न है, पुनरीक्षण न्यायालय का दायरा अत्यन्त सीमित होता है। पुनरीक्षण के स्तर पर पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना है कि क्या आलोच्य आदेश किसी गम्भीर वैधानिक त्रुटि से ग्रसित है अथवा नहीं अथवा किसी विधिक प्राविधान के विपरीत तो यह आदेश पारित नहीं किया गया है। पुनरीक्षण तब स्वीकार होगा जब आलोच्य आदेश किसी साक्ष्य पर आधारित न हो अथवा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नकार दिये जाने या न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से करने अथवा विकृत रूप से करने की दशा में ही पुनरीक्षण स्वीकार हो सकता है।''

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–6, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–16142/2024, राकेश कुमार बनाम हरेन्द्र धाकरे, अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, थाना सैंया, जिला आगरा के मामले में परिवादी/विपक्षी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए एन0आई0 एक्ट पर पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.02.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी/विपक्षी संख्या–2 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि ''केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों में एन0आई0 एक्ट

की धारा 143ए के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, क्रिमिनल अपील नं0 741/2024 की विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए एन0आई0 एक्ट वास्ते चेक धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि बतौर अन्तरिम प्रतिकर दिलाये जाने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित समझता है, जिसका एडजेस्मेंट निर्णय पारित करते समय किया जाएगा। चूँकि प्रस्तुत मामले में 24,00,000/–रुपये की चेक है। अतः चेक की मूल धनराशि 24,00,000/–रुपये की 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात 2,40,000/–रुपये बतौर अन्तरिम प्रतिकर परिवादी को विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश किया जाता है। विपक्षी हरेन्द्र धाकरे अन्दर दो माह चेक की धनराशि की दस प्रतिशत अर्थात 2,40,000/–रुपये परिवादी राकेश कुमार को अदा करे। यदि विपक्षी हरेन्द्र धाकरे आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।''

यहां उपरोक्त के सन्दर्भ में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए के विधिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया जाना समीचीन है–''*न्यायालय को धारा 143ए की उप–धारा 1 के तहत अन्तरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने का आदेश पारित करने के लिए अदालत को अधिकार देने के बाद, उप–धारा 2 में यह जनादेश है कि इस तरह का अन्तरिम मुआवजा चेक की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अवधि जिसके भीतर अन्तरिम मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए, वह उप–धारा 3 में निर्धारित है, जबकि उप–धारा 4 उन स्थितियों से सम्बन्धित है, जहां चेक के आहर्ता को बरी कर दिया गया है। उप–धारा 4 में निर्धारित ब्याज के साथ अन्तरिम मुआवजे के पुनर्भुगतान पर विचार किया गया है। उक्त धारा 143ए की धारा 5 में कहा गया है कि ''इस धारा के तहत देय अन्तरिम मुआवजे की वसूली की जा सकती है जैसे कि यह एक जुर्माना हो। अभिव्यक्ति अन्तरिम मुआवजा वह है जो इस धारा के तहत देय है, और इस प्रकार अपने दायरे के भीतर उक्त धारा 143ए की उप–धारा 1 के तहत अन्तरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।*'' इस प्रक्रम पर न्यायालय के मत में धारा 143ए एन0आई0 एक्ट आज्ञापक नहीं है, अपितु न्यायालय के विवेकाधीन है।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य 2024 (4) एस0सी0सी0 419** में यह विधि व्यवस्था की गयी है कि–

i. Court will have to prima facie evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused in the reply to

the application under section (1) of Section 143A.

ii. The presumption under Section 139 of the N.1. Act, by itself, is no ground to direct the payment of interim compensation. The reason is that the presumption is rebuttable. The question of applying the presumption will arise at the trial.

iii. Only if the complainant makes out a prima facie case, a direction can be issued to pay interim compensation.

iv. Fact that the accused is in financial distress can also be a consideration. Even if the Court concludes that a case is made out for grant of interim compensation, the Court will have to apply its mind to the quantum of interim compensation.

v. Even at this stage, the Court will have to consider various factors such as the nature of transaction, the relationship, if any, between the accused and the complainant and the paying capacity of the accused.

vi. If the defence of the accused is found to be prima facie a plausible defence, the Court exercise discretion in refusing to grant interim compensation.

vii. Factors required to be considered as set out above, are not exhaustive. There could be several other factors in the facts of a given case, such as, the pendency of a civil suit, etc.

इस प्रक्रम पर न्यायालय के मत में धारा 143ए एन0आई0 एक्ट आज्ञापक नहीं है, अपितु न्यायालय के विवेकाधीन है।

इस प्रकार धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला साबित कर देता है, तो न्यायालय प्रतिवादी को अन्तरिम मुआवजा देने के लिए आदेश पारित कर सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जी0जे0 राजा बनाम तेजराज सुराना (2019) 19 SCC 469** के वाद में यह विधि व्यवस्था की गयी है कि "Section of 143A of the Negotiable Instrument Act is prospective in nature. Further Section of 143A N.I. Act applies only during the trial stage. It is the judicial discretion of the Court to award interim compensation after ascertaining that there is a prima-facie case."

यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसे धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विचारण हेतु तलब किया जा चुका है तथा अभियुक्त का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 भी अंकित किया जा चुका है। बयान विपक्षी अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0 दिनांक 08.07.2025 को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अंकित किया जा चुका है। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर

है। धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम यह भी प्रावधान करती है कि यदि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को उक्त धनराशि वापस देनी होगी। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा **फौजदारी अपील संख्या–741/2024 राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखण्ड राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.03.2024** के आलोक में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है और उसके पर्याप्त कारण आदेश में अंकित किये गये हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्धित न्यायालय ने आलोच्य आदेश को पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उचित कारणों का उल्लेख करते हुए समीचीन आदेश पारित किया है और आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। **राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखण्ड राज्य अपील संख्या–741/2024 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 15.03.2024** में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि अन्तरिम प्रतिकर का आदेश पारित करने में न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देगा, जिनमें प्रस्तुत प्रकरण के मद्देनजर मुख्य बिन्दु यह है कि यदि शिकायतकर्ता की शिकायत में विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टय केस प्रकट होता है, तो न्यायालय अन्तरिम प्रतिकर का आदेश पारित कर सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दस प्रतिशत धनराशि, यदि विपक्षी दोषमुक्त होता है, तो वह धनराशि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा–4 के अधीन रिफण्ड किये जाने योग्य है। उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय को अनादृत चेक की धनराशि का बीस प्रतिशत तक अन्तरिम प्रतिकर का आदेश देने हेतु अधिकृत किया गया है, किन्तु न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए मात्र दस प्रतिशत का आदेश विधिनुसार पारित किया गया है, जो कि समीचीन प्रतीत होता है। प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा मामले के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विधि संगत एवं न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और न ही किसी प्रकार की अनियमितता पायी गयी है, जो स्थिर रहने योग्य है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में आलोच्य आदेश दिनांकित 26.02.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है तथा तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–344/2026 खारिज किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्यायालय संख्या–6, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–16142/2024, राकेश कुमार बनाम हरेन्द्र धाकरे, अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट, थाना सैंया, जिला आगरा के मामले में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 26.02.2026 पुष्ट किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

विचारण न्यायालय को इस निर्णय/आदेश की एक प्रति अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(प्रदीप कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
आगरा।
J.O. Code-UP1733

दिनांकः–22.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
आगरा।
J.O. Code-UP1733

दिनांकः–22.07.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR
Date: 2026.07.22 17:21:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court